पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत सरकार

"राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन (NMHS)"

परियोजना प्रस्तावों का आमंत्रण 2019&20 (प्रथम चक्र)

हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने हाल ही में इसके संरक्षण से सम्बद्ध ''राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन'' की शुरूआत 2015 में एक सेन्ट्रल सेक्टर ग्रान्ट–इन–एड स्कीम के तहत की, जिसका सूदूर दर्शन ''भारतीय हिमालयी क्षेत्र के अर्न्तगत पारिस्थितिकीय, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक–आर्थिक संपति एवं मूल्यों का सतत निर्वाहन एवं संवर्धन का समर्थन करना है''। हाल ही में परियोजना का पुर्नोत्थान, मॉगपरक कियात्मक शोधों को अग्रलिखित विषयगत प्रसंगों को केन्द्र में रखते हुए किया गयाः **(i) जल संसाधन प्रबन्धन; (ii) आजीविका विकल्प एवं रोजगार सृजन; (iii) जैवविविधता संरक्षण एवं प्रबन्धन; (iv) कौषल विकास एवं क्षमता निर्माण; (v) बुनियादी/संरचनात्मक विकास; (vi) भौतिक संयोजन; एवं (vii) संकटजनित/हानिकारक पदार्थों का सुसंचालन।** साथ ही साथ हिमालयी क्षेत्रों के संबद्ध इन परियोजनाओं की वित्तिय वैद्यता को भी उन्नत करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस योजना में किये जाने वाले अध्ययन परियोजनाओं के विषयों का विस्तृत विवरण मिशन की वैबसाइट www.nmhs.org.in पर उपलब्ध है।

वर्ष 2019–20 हेतु, ''हिमालयी अध्ययन हेतु राष्ट्रीय मिशन'' निहित इन विषयों पर सरकारी, गैर–सरकारी, एवं निजी संस्थानों, संस्थाओं, उच्च शिक्षण विश्वविद्यालयों, जिनके पास पर्याप्त मानवसंसाधन के साथ हिमालयी क्षेत्रों में पूर्व–सिद्ध मॉगपरक, प्रदर्शनात्मक शोध एवं विकासात्मक कार्य अनुभव हो, से परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। एस.सी./एस.टी. समुदायों को लाभार्थी के रूप में संयोजित करते हुए परियोजना प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जायेगी, तथा हिमालयी क्षेत्र में महिला–केन्द्रित संवर्धन को संबोधित करते हुए प्रस्तावों को प्रोत्साहित किया जायेगा। हिमालयी–क्षेत्रों में इन विषयगत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के समाधान तथा उन्मूलन के साथ मॉगपरक प्रदर्शनात्मक शोधों को आरम्भ करने के पूर्व में सफल अनुभव के आधार पर, अध्ययन, प्रारूप एवं नवअनुसन्धान का चयन किया जायेगा। परियोजना प्रस्ताव के द्वारा ''परियोजना–प्रस्ताव निवेदन दिशा–निर्देशों'' संल्गनक में दर्शायी **तालिका 1** में सन्निहित विषयगत प्रसंगो के साथ उपविषयों को संबोधित करना चाहिए।

समरूप/ सदृश्य शोध अथवा कियात्मक निरूपण या एक ही कार्यक्षेत्र में साझेदारी करती हुई परियोजना प्रस्तावों को एन.एम. एच.एस. सक्षम अधिकारी द्वारा संयुक्त या संयोजित भी किया जा सकता है।

एन.एम.एच.एस. मिशन के अन्तर्गत परियोजना की अवधि तीन **(3)** वर्ष की होगी, एवं हिमालयी क्षेत्र में कार्य व अध्ययन में अनुभव रखने वाले भारतीय वैज्ञानिक/अनुसंधानकर्ता तथा फील्ड आधारित परियोजनाओं में अनुभवी अनुसंधानकर्ता किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक/शोध संस्थान के साथ संयुक्त रूप से परियोजना में प्रतिभाग कर सकते है। सभी शोधकर्ता संस्थान के प्रमुख/अध्यक्ष के माध्यम से नियत प्रारूप प्रस्ताव भेज सकते है जो मिशन की वैबसाइट www.nmhs.org.in, मंत्रालय/(MoEF&CC) की वेबसाइट www.moef.nic.in और संस्थान की वैब साईट www.gbpihed.gov.in पर उपलब्ध है।

परियोजना विवरण एवं अवधिः परियोजनाओं (**लघुः** रू0 50 लाख तक, **मध्यमः** रू0 50 लाख से 500 लाख तक तथा **दीर्घः** रू0 500 लाख से अधिक) की अवधि दो से **तीन वर्ष** तक होगी।

आवेदन कहॉ करें– शोध प्रस्ताव की दस प्रतियॉ निर्धारित प्रारूप में एन.एम.एच.एस.–नोडल ऑफिसर (ई0 किरीट कुमार, वैज्ञानिक–जी तथा नोडल अधिकारी, एन.एम.एच.एस. पीएमयू, जीबीपीएनआईएचईएसडी), गो0ब0 पन्त राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एंव सतत् विकास संस्थान, कोसी–कटारमल, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड 263643 को स्पीड पोस्ट से भेजे तथा प्रस्ताव की एक–एक इलैक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि ई–मेल (**nmhspmu2016@gmail.com**) तथा डा. सुब्रत बोस, निदेशक, पर्वतीय प्रभाग (सीएस–1) एमओईएफ एवं सीसी, नई दिल्ली को ईमेल (**subrata.bose@nic.in**) पर भी भेजे।

प्रथम चक्र में प्रस्ताव प्राप्त करने की **अंतिम तिथि 30 जून 2019** है।